

प्रेषक,

महानिदेशक,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. कुल सचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर।
2. कुल सचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर।
4. समस्त निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज उ०प्र०।
5. संयुक्त निदेशक, (पूर्वी/पश्चिमी/मध्य/बुन्देलखण्ड क्षेत्र) प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय, अनुदानित एवं पी०पी०पी० पालीटेक्निक संस्थाएं उ०प्र०।
7. समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक, निजी क्षेत्र इंजीनियरिंग/पालीटेक्निक संस्थाएं उ०प्र०।

दिनांक १० नवम्बर, 2024

संख्या | 02 / कैम्प / महा०नि० / प्रा०शि० / 2024

विषय: 26 नवम्बर, 2024 को संविधान दिवस के आयोजन के सम्बन्ध में।

प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय के पत्र संख्या-146/पी०एस०/एन०एस०एन०ई०/2024 दिनांक 19 नवम्बर, 2024 द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्वतंत्रता के अमृतकाल में दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को आयोजित होने वाले "संविधान दिवस" पर समस्त शिक्षण संस्थाओं में निम्नवत कार्यक्रम आयोजित किये जाएं:-

1. पूर्वान्ह संविधान की उद्देशिका (PREAMBLE) के पठन के साथ संविधान के पहलुओं पर सम्बन्धित प्रधानाचार्य/शिक्षक द्वारा भाषण का आयोजन किया जायेगा।
2. अमरान्ह में संविधान के अनुच्छेद 51-क में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, निबंध लेखन तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए।

तत्क्रम में आयोजित कार्यक्रमों के फोटोग्राफ एकत्र करके पालीटेक्निक संस्थाएं यू-राइज पोर्टल पर एस०यू० लॉगिन में उपलब्ध सम्बन्धित लिंक पर 01 से 10 तक फोटो अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे कि उपलब्ध फोटो को सूचना विभाग के माध्यम से जनसामान्य में प्रचारित-प्रसारित किया जा सके। कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

१ भवदीय
24/11/24
(अविनाश कृष्ण सिंह)
महानिदेशक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आयोजन में निदेशालय के किसी सक्षम वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए पोर्टल का संचालन कराना सुनिश्चित करें।
3. कुल सचिव, डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ अपने स्तर से इंजीनियरिंग कालेजों के लिए पोर्टल तैयार कराकर फोटोग्राफ एकत्र कराना सुनिश्चित करें।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ।
5. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ।

१
24/11/24
(अविनाश कृष्ण सिंह)
महानिदेशक


प्राविधिक शिक्षा निदेशालय

उत्तर प्रदेश

पृ०सं० 56072-198 /ई-प्रशा०सरकुलर कानपुर: दिनांक: 21-11-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को 26 नवम्बर 2024 को संविधान दिवस के आयोजन के संबंध में महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० का पत्र संख्या-102/कैम्प/महा०नि०/प्रा०शि०/2024 दिनांक 20.11.2024 तथा संलग्न मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-2 का पत्र संख्या-460/90/सं-2-2024 दिनांक 20.11.2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु प्रेषित:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, निदेशक कैम्प को निदेशक महोदय के अवगतार्थ।
 - 2- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, कानपुर।
 - 3- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से कि निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
 - 4- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 5- समस्त संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, मध्य क्षेत्र, लखनऊ/पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी/पश्चिमी क्षेत्र, दौराला, मेरठ/दुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी।
 - 6- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित/पी०पी०पी०, पालीटेक्निक, संस्थाएं, उ०प्र०।
 - 7-श्री कमलेश मणि, सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उन्हें उपरोक्त के संबंध में नोडल अधिकारी नामित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० के पत्र दिनांक 20.11.2024 में की गयी अपेक्षानुसार पोर्टल का संचालन करना सुनिश्चित करें।
 - 8-उपनिदेशक/सहायक निदेशक (स्थापना), प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, उ०प्र०।
 - 9-नजारत अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, उ०प्र०।
- संलग्नक: उपरोक्तानुसार


(आशीष गुप्ता)
प्रधानाचार्य (मुख्यालय)
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।
10

संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2024)

संख्या- 460 /90-सं-2-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
- 2-समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 3-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संसदीय कार्य अनुभाग-2

लखनऊ :दिनांक 20 नवम्बर, 2024

विषय: संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2024 को स्वतंत्रता के अमृत काल के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। इस हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में वर्ष-पर्यन्त संविधान से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है जिसके लिए संसदीय कार्य विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। भारत के संविधान को अंगीकृत किये जाने की तिथि 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उक्त अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उक्त कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 26-11-2024 को प्रातः 9:30 बजे से प्रारम्भ होंगे तथा मुख्य कार्यक्रम लोक भवन स्थित सभागार में आयोजित किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की जायेगी। उक्त कार्यक्रम में समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वयं प्रतिभाग करते हुए अपने विभाग में कार्यरत अनु सचिव एवं उससे उच्चतर अधिकारियों को भी प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाय। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम की समस्त व्यवस्था (मंच की साज-सज्जा, मंच संचालन एवं सूक्ष्म जलपान एवं सचिवालय के समस्त भवनों में प्रकाश की व्यवस्था) सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। शासन स्तर पर आयोजित किए जा रहे संविधान दिवस के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के सरकारी कार्यालयों,

नगरीय निकायों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित किया जाय। कार्यक्रम में संविधान से सम्बन्धित वृत्त चित्र का प्रसारण भी किया जाय।

2- प्रदेश के समस्त जनपदों में उक्त अवसर पर प्रातः 9:30 बजे जनपद के प्रभारी माननीय मंत्री/माननीय वरिष्ठ सांसद/जनपद के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में तथा प्रदेश के समस्त नगर निकायों/ जिला पंचायतों/ क्षेत्र पंचायतों/ ग्राम पंचायतों में क्रमशः महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में उनके कार्यालयों/सभाकक्षों में एवं प्रदेश के समस्त जनपद न्यायालय के अधिवक्ता सभागारों में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा अधिवक्ताओं के साथ (न्याय विभाग के माध्यम से) बाबा साहब डा० भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा/छायाचित्र के समक्ष संविधान की प्रति के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाय। इस हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाय।

3- इस अवसर पर संविधान की विशिष्टताओं एवं उनमें वर्णित मौलिक कर्तव्यों पर प्रदेश के सरकारी/निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पूर्वान्ह की अवधि में प्रधानाचार्य अथवा वरिष्ठ शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष उदबोधन देकर प्रस्तावना का वाचन किया जाय तथा अपरान्ह की अवधि में भारत के संविधान एवं उसमें उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों पर प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए वाद-विवाद एवं पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय। इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 03 छात्र/छात्राओं को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाय। प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों (चिकित्सा शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) की समस्त कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा समस्त छात्र/ छात्राओं सहित पूर्वान्ह की अवधि में संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं अपरान्ह की अवधि में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय।

4- संविधान के अमृतकाल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विशिष्ट तिथियों यथा- दिनांक 26 नवम्बर, 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को संविधान के मूल्यों /आदर्शों/ मौलिक कर्तव्यों की महत्ता को दर्शाये जाने वाले कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाय। उल्लेखनीय है कि दिनांक 13-01-2025 से दिनांक 26-02-2025 तक जनपद प्रयागराज में महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है। उक्त अवधि में महाकुम्भ मेला क्षेत्र में उपयुक्त स्थल पर संविधान गैलरी का निर्माण किया जाय, जिसमें संविधान सभा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्तियों/ महापुरुषों के चित्र एवं उनके विशिष्ट उदबोधन को वृत्त चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाय। इस हेतु प्रमुख सचिव, विधान सभा, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, प्रमुख सचिव, विधायी एवं प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा भी वांछित सहयोग प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

5- संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाय। प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियो क्लिप की प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा संसदीय कार्य विभाग की ई-मेल आईडी psparupgov@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाय।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संविधान दिवस (दिनांक 26 नवम्बर, 2024) के अवसर पर उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए अपने अधीनस्थों को भी अपने स्तर से निर्देशित करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Manoj 20.11.24
(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या- (1)/90-सं-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मंत्रि मण्डल सचिव, भारत सरकार।
- 2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- 3- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 6- निजी सचिव, मा० संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- गार्ड बुक।

आशा से,
/ (जे०पी० सिंह-II)
प्रमुख सचिव।